

## Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 25 फरवरी, 2023

### अमेज़न-ONDC

अमेज़न ने घोषणा की है कि वह भारत सरकार के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा। वर्ष 2022 में माइक्रोसॉफ्ट सोशल ई-कॉमर्स के माध्यम से भारतीय बाज़ार में लॉजिस्टिक्स खरीद शुरू करने के इरादे से नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई। ONDC वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department of Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा स्थापित एक खुला ई-कॉमर्स प्रोटोकॉल है। ONDC के तहत यह परकल्पना की गई है कि भाग लेने वाले ई-कॉमर्स साइट पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये फ्लिपकार्ट/Flipkart) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है। वर्तमान में एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले लेन-देन हेतु खरीदारों एवं विक्रेताओं को एक ही एप पर होना पड़ता है।

और पढ़ें... [ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स \(ONDC\), ई-कॉमर्स](#)

### ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना (GBBC) 2023

35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट (GBBC) 2023 के दौरान उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के बाक्सचमि बंगाल में सबसे अधिक प्रजातियों (498) की सूचना मिली है। बर्ड काउंट इंडिया (BCI) के अनुसार, सर्वाधिक बर्ड चेकलसिट वाला राज्य केरल था। महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु इस संदर्भ में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। BCI पक्षी वितरण और समष्टि के बारे में सामूहिक ज्ञान बढ़ाने हेतु एक साथ काम करने वाले संगठनों तथा समूहों की एक अनौपचारिक साझेदारी है। GBBC 2023 में भाग लेने वाले 190 देशों में भारत भी शामिल था, GBBC एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पक्षियों से लगाव रखने वालों, छात्रों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को उनके आस-पास पाए जाने वाले पक्षियों की गिनती हेतु एकजुट करता है। GBBC की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। भारत में GBBC का आयोजन बर्ड काउंट इंडिया द्वारा किया जाता है। देश भर में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि ने चेकलसिट की संख्या के संदर्भ में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा और किसी भी देश में पक्षी प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।

और पढ़ें... [वशिव के पक्षियों की स्थिति](#)

### गार्सनिया पेडुनकुलाटा (Garcinia Pedunculata)

गार्सनिया पेडुनकुलाटा, एक औषधीय पौधा जिसे आमतौर पर असमिया भाषा में 'बोर्थेकेरा' (Borthekera) कहा जाता है, पारंपरिक रूप से इसके कच्चे फलों का सेवन नषिदिह है, यह हृदय रोगों से बचाव करने में काम आता है। इस औषधीय पौधे के पके फल का सूखा गूदा कार्डियक हाइपरटॉफी संकेतकों और ऑक्सीडेटिव तनाव तथा हृदय की सूजन को कम करता है जो मानकीकरण के लिये अंतरराष्ट्रीय संगठन (ISO) द्वारा लाया गया था। कई अध्ययनों से पता चला है कि यह एंटीऑक्सिडेंट का एक समृद्ध स्रोत है। हालाँकि इसकी कार्डियोप्रोटेक्टिव क्षमता का पता लगाया जाना अभी बाकी है। ISO 167 राष्ट्रीय मानक नकियों की सदस्यता के साथ एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कार्डियोवैस्कुलर एवं अन्य गैर-संक्रामक रोगों के मामलों को कम करने के लिये [राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय \(NHM\)](#) के तहत राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिक रोग एवं आघात की रोकथाम तथा न्यंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS) कार्यान्वयित किया जा रहा है।



और पढ़ें... [गैर-संक्रामक रोग](#)

## ई-श्रम पोर्टल

ई-श्रम पोर्टल को देश के असंगठित/प्रवासी श्रमिकों के मामले में अभूतपूर्व सफलता मिली है और 24 फरवरी, 2023 तक 28.60 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। असंगठित/प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने तथा उन्हें एकयूनविर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करने के लिये श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का वसितार करना है तथा उन श्रमिकों की पहचान करना है जो जागरूकता की कमी या अन्य किसी कारण से कल्याणकारी योजनाओं के विभिन्न लाभों से वंचित हैं। इस उद्देश्य से श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) से उपलब्ध राशन कार्ड डेटा के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा का मिलान शुरू किया है। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी पात्र श्रमिकों को [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम \(NFSA\)](#) के तहत राशन कार्ड का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

और पढ़ें... [भारत में अनौपचारिक क्षेत्र, ई-श्रम पोर्टल और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-25-february-2023>